

The 822nd meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 26th August, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

1. **Case No. – P2/ 1765 /2025 SMT. SONALI SINGH, W/o SHRI MANOJ GURJAR, PARTNER of M/S SHRI BANKE BIHARI STONE, R/o 11, C. P. COLONY MURAR, GWALIOR, (M.P.) - 474006. Prior Environment Clearance for M/s Rancholi Flag Stone Mine Project is located at Survey No. - 77, Total Lease Area - 1.460Ha., Flag Stone – 5,000 Cubic Meter/year. at Village - Rancholi, Tehsil - Morena (Current - Banmore), District - Morena (M.P.). SIA/MP/MIN/522819/2025. Fresh- B-2.**

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 26/08/2025 the Project Proponent' Environmental Consultant Mr. Ram Milan Pathak (Managing Director) Visiontech Environment and Survey Works Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent.	SMT. SONALI SINGH, W/o SHRI MANOJ GURJAR, PARTNER of M/S SHRI BANKE BIHARI STONE, R/o 11, C. P. COLONY MURAR, GWALIOR, (M.P.) - 474006. Prior Environment Clearance for M/s Rancholi Flag Stone Mine Project is located at Survey No. - 77, Total Lease Area - 1.460Ha., Flag Stone – 5,000 Cubic Meter/year. at Village - Rancholi, Tehsil -Morena (Current - Banmore), District - Morena (M.P.). <u>SIA/MP/MIN/522819/2025.</u> B2 Fresh Case.	
Khasra No./Lease Area (Ha.), (Government/Private).	Khasra No.-77,	Lease Area -1.460 ha., (Private Land),
Project Location	Village - Rancholi, Tehsil -Morena (Current - Banmore), District - Morena (M.P.).	
Description of Project	It is B2 Category Flag Stone Mine Project. Project is located at Survey no. - 77, at Village - Rancholi, Tehsil - Morena (Current - Banmore), District - Morena Madhya Pradesh Total lease area -	

	1.460Ha.
Lease approval letter details.	Approved by letter No. 183 dated 21/02/2024 of the Office of Collector (Mineral Branch), District-Morena.
Project Category	B-2.
SPCB Comments/CTE details	PCB ID: 169781, Consent No:CTE-130920, Consent to Establish Issued Date: 17/06/2025.
Blasting/Rock Breaker.	Not Required.
DEIAA E.C. details (if applicable)	NA.
Production details	Flag Stone - 5,000 M ³ /year.
Crusher status.	NA,
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 396 dated 18/06/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Morena, 01 other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 3.760 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 396 dated 18/06/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Morena, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 396 dated 18/06/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Morena, there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 396 dated 18/06/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Morena, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 07 dated 16/08/2023 of Gram Panchayat Rancholi, District - Morena, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree existing within lease area - 02 Tree Felling – Not proposed
Current status of the proposed site as per Google Image.	West-Kachha Road – 78 mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	As per EKAL Certificate Dispatch No. 396 dated 18/06/2024 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Morena project proponent informed that the details of this mine are incorporated upcoming approved new District Survey Report of the District. After discussion, the committee decided that in the context of the decision taken in the 739th Meeting of the MPSEIAA dated 29/07/2022 (in Case No. - 9261/2022 - issued letter no. 1306 dated 04/08/22), this case should also be examined in view of environmental sensitivity and recommended to SEIAA for environmental approval.

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Flag Stone – 5,000 Cubic Meter/year.
2. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 14.65 lakh and the recurring cost shall be Rs. 3.49 lakh per year.
3. Under the CER head, an amount of Rs. 1.50 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01–02 years:

SN	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1.	सी.ई.आर. गतिविधि के अंतर्गत ग्राम रंचोली के शासकीय स्कूल में 03 किलोवाट सोलर पैनल की व्यवस्था की जायेगी एवं विज्ञान मॉडल प्रदाय किये जावेंगे एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल - पेंटिंग बनवाई जायेगी।	1,50,000

4. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for Five years, and maintenance throughout the mining period), at least 1750 trees shall be planted.

2. Case No. 1766 /2025 Shri Pranat Chauhan, Ward no.- 5, Khupripar, Teh-Icchawar, Distt. - Sehore (M.P.) – 466115. Prior Environmental Clearance for M/s Bhaukhedi Crusher Stone Quarry lease over an Area 3.0 Ha of Project Proponent – Pranat Chauhan, located at Khasra No. 335/3/1, and Proposed Maximum Production Capacity: 20,001 m³/year, Village: Bhaukhedi, Tehsil: Ichhawar, District: Sehore (M.P.). SIA/MP/MIN/523985/2025.

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 26/08/2025 the Project Proponent’s Environmental Consultant Mr. Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent
Name and address of the project proponent.	Shri Pranat Chauhan, Ward no.- 5, Khupripar, Teh-Icchawar, Distt. - Sehore (M.P.) – 466115. Prior Environmental Clearance for M/s Bhaukhedi Crusher Stone Quarry lease over an Area 3.0 Ha of Project Proponent – Pranat Chauhan, located at Khasra No. 335/3/1, and Proposed Maximum Production Capacity: 20,001 m³/year, Village: Bhaukhedi, Tehsil: Ichhawar, District: Sehore (M.P.). FoR- B2 Case. SIA/MP/MIN/523985/2025.
Khasra No./Lease Area (Ha.), (Govt/Private).	Khasra No.- 335/1, 3.00 Ha., Govt. Land
Project Location	Village: Bhaukhedi, Tehsil: Ichhawar, District: Sehore (M.P.).
Lease approval letter details.	Approved by DGM Bhopal office letter No. 6382-83 dated 06/08/2024 of the Office of Collector (Mineral Branch), District-Bhopal.
Blasting/Rock Breaker.	Blasting proposed.
Case status.	New Project.
SPCB Comments.	PCB ID: 168942, Consent No:CTE-130678, Outward No:26960,12/06/2025, CTE issued date 12/06/2025. (Mining of Stone-20001 m ³ /Year)
DEIAA E.C. details (if applicable)	NA.
Crusher install within the mining lease area.	Yes
TOR Status.	NA.
Production Capacity	The Project Proponent has applied for maximum production capacity of Crusher Stone (Gitti)- 20001 cubic meters/year. and as per the approved mining plan, the maximum production capacity of Crusher Stone (Gitti)- 20001 cubic meters/year.
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 418 dated 10/02/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District-Sehore, No other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 3.00 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category (As per Ekal Praman Patra reported 01

	other mine apply).
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 418 dated 10/02/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Sehore, there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 418 dated 10/02/2025 of Office Collector (Mineral Branch) District- Sehore, there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 418 dated 10/02/2025 of the office of Collector (Mineral Branch) District- Sehore, within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 02 dated 15/01/2024 of Gram Panchayat Bhaukhedi, District Sehore, the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree Felling - Additional tree to be planted -
Current status of the proposed site as per Google Image.	North-East- Natural drain – 36mt. Env. Consl. has proposed 15mt set back.
	South-
	West—Pukka Road 484 mt.
	North -West- Industrial shed – 379 mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	As per EKAL Certificate Dispatch No. 418 dated 10/02/2025 of the office of Collector (Mineral Branch) District- Sehore project proponent informed that the details of this mine are incorporated approved new District Survey Report of the District.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के परियोजना सलाहकार ने बताया कि लीज में से होकर एक हॉलेज रोड निकल रहा है परंतु यह रोड किसानों के आने-जाने एवं आगे जाकर दक्षिण पूर्व दिशा में एक निर्माणाधीन परियोजना तक जाता है अतः इस संबंध में उनके द्वारा 50मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है, अतः खनन योग्य 2.0 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Crusher Stone 20,001 घनमीटर प्रति वर्ष।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।

3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 13.73 lakh and the recurring cost shall be Rs 3.42 lakh per year.
5. Under the CER head, an amount of Rs. 0.60 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01–02 years:

SN	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1.	शासकीय प्राथमिक स्कूल डैंबड़ा में हैंडपम्प की मरम्मत एवं फर्निचर (15 बेंच एवं डेस्क)	60,000

6. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for five years, and maintenance throughout the mining period), at least 495 trees shall be planted.

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information; on receipt of reply this case shall be treated as recommended for grant of EC.

1. As Crusher is proposed within lease area hence the PP shall upload comments/CTE of Crusher from MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the parivesh portal.

3. **Case No. - P2/1767/2025 SHRI MANGAL LAL SONDHIA, Village - Barkhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) – 465674. Prior Environment Clearance for M/s Dobadha Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, Khasra No. 342/14 (Pvt. Land), in Village – Dobadha, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) (Maximum Production – 3500 Cubic Meter). SIA/MP/MIN/535913/2025. B2 Case.**

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 26/08/2025 the Project Proponent SHRI Shri Bhagwan Singh Sondhiya and his Environmental Consultant Ms. Garims Shrivastava Coordinator Online and Shri Ram Vishal Shukla, M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the project proponent.	SHRI MANGAL LAL SONDHIA, Village - Barkhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) – 465674. Prior Environment Clearance for M/s Dobadha Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, Stone (Gitty) - 3,500 M ³ /year, at Khasra No. 342/14 (Pvt. Land), in Village – Dobadha, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) (Maximum Production – 3500 Cubic Meter). <u>SIA/MP/MIN/535913/2025.</u> <u>B2 Fresh Case.</u>	
Khasra No./Lease Area (Ha.), (Government/Private).	Khasra No.- 342/14,	Lease Area -1.00 ha., (Private Land),
Project Location	Village – Dobadha, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.)	
Description of Project	Dobadha Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, Khasra No. 342/14, in Village – Dobadha, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) (Maximum Production – 3,500 Cubic Meter).	
Lease approval letter details.	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्र क्र0. 1285 दिनांक 26 / 11 / 2024.	
Project Category.	B-2.	
SPCB Comments/CTE details	➤ PCB ID: 169085, Consent No:CTE-130915, Consent to Establish up to 11/06/2030. Issued Date: 16/06/2025.	
Blasting/Rock Breaker.	Not applicable as rock will be explored by rock breaker.	
Crusher status.	Yes.	
DEIAA E.C. details (if applicable)	NA.	
Production details	Stone (Gitty) - 3,500 M ³ /year.	
Other mines within 500-meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 36 dated 14/01/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , no other mines are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 1.00 ha. It happens; hence the case is of B-2 Category .	
Distance from	According to the Ekal Certificate number 36 dated 14/01/2025 of the	

National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 36 dated 14/01/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's objection.	no As per EKAL Certificate Dispatch No. 36 dated 14/01/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 15 dated 15/08/2024 of Gram Panchayat- Kanshorkalan, District Rajgarh , the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree existed - No Tree Felling - No
Current status of the proposed site as per Google Image.	East-Pukka Road – 50mt. set back of 50 mt. is proposed.Hence mineable area is available 0.39 ha. South-West – Pond 105mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	As per EKAL Certificate Dispatch No. 36 dated 14/01/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh project proponent informed that the details of this mine are incorporated upcoming District Survey Report of the District. After discussion, the committee decided that in the context of the decision taken in the 739 th Meeting of the MPSEIAA dated 29/07/2022 (in Case No. - 9261/2022 - issued letter no. 1306 dated 04/08/22), this case should also be examined in view of environmental sensitivity and recommended to SEIAA for environmental approval.

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Stone (Gitty) – 3,500 M³/year.
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
4. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 13.73 lakh and the recurring cost shall be Rs. 3.42 lakh per year.

5. Under the CER head, an amount of Rs. 1.0 lakh shall be allocated as per the details below, and proposed all activities under CER shall be completed within the next 01 years:

SN	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1	शासकीय प्राथमिक स्कूल डोबड़ा में हैण्डपंप लगा कर पेयजल की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।	1,00,000

6. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for Five years, and maintenance throughout the mining period), at least 495 trees shall be planted.

4. **Case No. – P2/ 1768 /2025 SHRI DEVRAJ SINGH SONDHIA, VILLAGE-CHANDARPURA, TEHSIL BIAORA, DISTRICT RAJGARH (M.P.)- 465674. Prior Environment Clearance for M/s Beenyakhedi Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter), at Khasra No. - 146/35, in Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.). SIA/MP/MIN/533744/2025. B2 Case.**

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 26/08/2025 the Project Proponent Shri Devraj Singh Sondhiya and his Environmental Consultant Ms. Garims Shrivastava Coordinator and Shri Ram Vishal Shukla, M/s Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow (U.P.) (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the Project proponent.	Shri DEVRAJ SINGH SONDHIA, VILLAGE- CHANDARPURA, TEHSIL BIAORA, DISTRICT RAJGARH (M.P.)- 465674. Prior Environment Clearance for M/s Beenyakhedi Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter), at Khasra No. - 146/35, in Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.). <u>SIA/MP/MIN/533744/2025.</u> <u>B2 Fresh Case.</u>	
Khasra No. / Lease Area (Ha.), (Government/Private).	Khasra No.- 146/35,	Lease Area-1.00 Ha., Private Land (Consent rec. from Landlord).
Project Location	Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.)	
Description of Project	Beenyakhedi Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, Khasra No. 146/35, in Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter)	
Lease approval letter details.	Approved by letter No. 25 dated 10/01/2025 of the Office of Collector (Mineral Branch), District- Rajgarh.	
Project Category	B-2.	
SPCB Comments/CTE details	PCB ID: 169089, Consent No:CTE-130912, Consent to Establish up to 11/06/2030, Issued Date: 16/06/2025.	
Blasting/Rock Breaker.	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting, use of sandbags, Proper maintenance of machinery and vehicles and green belt in barrier zone act as noise & vibration barrier.	
DEIAA E.C. details (if applicable).	NA.	
Crusher install within the mining lease area?	Not applicable.	
Production details	Stone (Gitty) - 5,000 M ³ /year.	
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 307 dated 03/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , 01 other mines	

	are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 2.00 ha. It happens, hence the case is of B-2 Category.
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 307 dated 03/03/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 307 dated 03/03/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's no objection.	As per EKAL Certificate Dispatch No. 307 dated 03/03/2025 within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 09 dated 20/10/2024 of Gram Panchayat Chandanpura, District Rajgarh , the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree existed- No
Current status of the proposed site as per Google Image.	North- Pond 262 mt.
	South- PP's own Poultry farm [closed]-100mt.
	West-Natural drain 283 mt. and North-west-Pukka Road 318mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 307 dated 03/03/2025 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh project proponent informed that the details of this mine are updated new District Survey Report of the District. After discussion, the committee decided that in the context of the decision taken in the 739 th Meeting of the MPSEIAA dated 29/07/2022 (in Case No. - 9261/2022 - issued letter no. 1306 dated 04/08/22), this case should also be examined in view of environmental sensitivity and recommended to SEIAA for environmental approval.

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Stone (Gitti) - 5,000 M³/year.
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

4. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 11.63 lakh and the recurring cost shall be Rs.3.91 lakh per year.
5. Under the CER head, an amount of Rs. 0.60 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01years:

SN	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1	ऑगनबाडी केन्द्र ग्राम बिन्याखेडी में मरम्मत – संधारण एवं फर्निचर (15 बेंच एवं डेस्क)	60,000

6. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for Five years, and maintenance throughout the mining period), at least 495 trees shall be planted.

5. **Case No 9985/2023 Shri Surendra Singh, Owner, R/o Shahgarh, District-Sagar (MP)-470339, Prior Environment Clearance for M/s Bagrohi Granite Deposit Mine in an area of 4.00 ha. (1280 cum per year) (Khasra No. 117/1P), Village-Bagrohi, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP) [541896] (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राममिलन पाठक, मेसर्स VISIONTECH ENVIRONMENT AND SURVEY WORKS PVT. LTD. भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री SURENDRA SINGH, OWNER, Shahgarh, District - Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	117/1 (Parts) (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- BAGROHI Tehsil- Shahgarh District Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 953 दिनांक 14/06/2019 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 22/04/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 10/04/2023 तक है ।	
टॉर	सेक की 658वीं बैठक दिनांक 12/07/2023 को टॉर अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 1090 दिनांक 10/08/2023 के द्वारा Granite-1280 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-1280 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-1280 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र	

खदानें	क्रमांक 713 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 08.00 होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । स्वीकृत खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि के अंदर नवीन अभ्यारण्य प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 713 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बगरोही जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing – 10 Tree Felling – No.
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- नदी – 340 मी. दक्षिण दिशा-रहवासी घर – 184 मी. 15 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम दिशा-प्राकृतिक नाला 342 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 580 दिनांक 24/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य में जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, उसमें उक्त खदान पट्टा सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की संपन्न सुनवाई में प्राप्त आपतियों/सुझावों को पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
-----------	--

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information: -

1. The PP shall submit copy of tripod agreement i.e. Project Proponent, old Environment Consultants and Newly appointed Environment Consultants.
2. मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 115 दिनांक 11/04/25 की अधिसूचना अनुसार डॉ. भीमराव अंबेडकर अभ्यारणय घोषित हुआ है जिसमें बंडा एवं शाहगढ़ तहसील का क्षेत्र आता है अतः इस परिप्रेक्ष्य में संशोधित वन मंडलाधिकारी की संशोधित अनापति प्रस्तुत करें।
3. ईआईए के पृष्ठ क्रमांक 29 के टॉर पॉइंट 1,3,7,8,9,10,13,14,17,18,19, 17-22 **Will be complied**, एवं 27,28 में दिए गए विवरण पूर्ण नहीं है। ईआईए के पृष्ठ क्रमांक 36,42,44 में दिए गए टॉर पॉइंट में **public hearing is yet to be done** उल्लेख किया गया है।
4. ईआईए के पृष्ठ 57 टेबल 0-14 में भूजल का स्रोत नहीं बताया गया है एवं सरफेस वॉटर 03 में पॉइंड का नाम उल्लेख नहीं है एवं सरफेस वॉटर क्वालिटी का परिणाम/इनफेरेंस का पैरा 3.9.5 में उल्लेख नहीं किया गया है।
5. ईआईए के पृष्ठ 227 में सेनेटरी वेस्ट वॉटर का यूज सब-सरफेस डिसपरशन उल्लेख किया गया है, स्पष्ट करें। ईआईए के पृष्ठ 186-187 पैरा 6.2 एवं 6.4 में **monitoring** का बजट रु. 01 लाख उल्लेख है जबकि ईएमपी में बजट रु. 40,000 उल्लेख है, इस विरोधाभास को स्पष्ट करें।
6. ईआईए रिपोर्ट में जियोटेग फोटोग्राफ्स नहीं लगाये गये हैं। अतः संशोधित जानकारी ईआईए रिपोर्ट में उन्नयन करते हुए प्रस्तुत करें।

6. **Case No 10568/2023 Shri Kapil Patidar, Owner, R/o Village-Borlay, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP)-451551, Prior Environment Clearance for Borlay Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.99 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 390/7), Village-Borlay, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP) (EIA) (535441) (EIA)**

प्रकरण आज सेक की 822वीं बैठक दिनांक 26/08/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

7. **Case No. – P2/1773/2025 SHRI DILIP SINGH SONDHIA, VILLAGE - CHANDARPURA, TEHSIL - BIAORA, DISTRICT – RAJGARH(M.P.) – 465674. Prior Environment Clearance for M/s Beenyakhedi Stone Mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter) at Khasra No. - 146/32 (Pvt. Land), in Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.), SIA/MP/MIN/533916/2025. B2 Case.**

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 26/08/2025 the Project Proponent SHRI Devraj SONDHIA and his Environmental Consultant Ms. Garima Shrivastava, online and Shri Ram Vishal Shukla, M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent	
Name and address of the Project proponent.	SHRI DILIP SINGH SONDHIA, VILLAGE - CHANDARPURA, TEHSIL - BIAORA, DISTRICT – RAJGARH(M.P.) – 465674. Prior Environment Clearance for M/s Beenyakhedi Stone Mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter) at Khasra No. - 146/32 (Pvt. Land), in Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.),	
Khasra No. / Lease Area (Ha.), (Government/Private).	Khasra No.- 146/32,	Lease Area – 1.00 Ha., (Private Land)
Project Location	Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.)	
Description of Project	Beenyakhedi Stone mine for making Gitti of 1.00 Hectare Area, Khasra No. - 146/32, in Village – Beenyakhedi, Tehsil – Biaora, District- Rajgarh (M.P.) (Maximum Production – 5,000 Cubic Meter).	
Lease approval letter details.	Approved by letter No. 23 dated 10/01/2025 of the Office of Collector (Mineral Branch), District- Rajgarh.	
Project Category	B-2.	
SPCB Comments/CTE details	PCB ID: PCB ID: 169086, Consent No:CTE-130913, Consent to Establish up to 11/06/2030. Issued date 16/06/2025.	
Blasting/Rock Breaker.	No Blasting	
Case status.	New.	
DEIAA E.C. details (if applicable)	NA.	
Production details.	Stone (Gitty) - 5,000 M3/year.	
Crusher install within the mining lease area ?	Crusher shall not installed within the mining lease area.	
Other mines within 500 meter radius.	According to the Ekal Certificate dispatch no. 308 dated 03/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , 01other mines	

	are operated / approved within the radius of 500 meters, thus the Total Area is 2.00 ha. It happens; hence the case is of B-2 Category .
Distance from National Park/ Sanctuary/SEZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal Certificate number 308 dated 03/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the radius of 10 kilometers.
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site.	According to the Ekal Certificate Dispatch No. 308 dated 03/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , there is no forest area within the radius of 250 meters.
Tehsildar's objection.	no As per EKAL Certificate Dispatch No. 308 dated 03/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh , within a radius of 500 meters there is no Human settlement, Educational Institution, Hospital, Archaeological heritage, monument of national importance, Railway line / Public building / Cremation ground. National Highway / sensitive areas such as: Radio Station, Doordarshan, Airport, Defense institute and Aquatic body / River / Pond / Dam / Stop Dam / Canal / Rural unpaved / paved road / drain.
NOC from Gram Sabha/Gram Panchayat.	As per the resolution proposal number 10 dated 20/10/2024 of Gram Panchayat Chandarpura, District - Rajgarh , the Panchayat has no objection to the mining work at the proposed site.
Present status of trees at the proposed site	Tree existing - No
Current status of the proposed site as per Google Image.	North- Habitation 345 mt., Pond 120 mt.
	South-Poultry farm [closed] 263 mt.
	North -West-Pukka Road 170 mt.
Status of the proposed mine in the district survey report (DSR)	As per EKAL Certificate Dispatch No. 308 dated 03/03/2025 of the Office Collector (Mineral Branch) District- Rajgarh project proponent informed that the details of this mine name are updated upcoming new District Survey Report of the District.

Based on the presentation given by the project proponent, the Environmental Management Plan, and other submitted information being satisfactory and acceptable, the Committee recommends granting Prior Environmental Clearance with specific and standard conditions as per Annexure-A, as follows:

1. As per the approved mining plan, the maximum production capacity shall be Stone (Gitty) - 5,000 M³/year.
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
4. Under the Environmental Management Plan (EMP) head, the Capital Cost shall be Rs. 10.29 Lakh and the recurring cost shall be Rs.3.11 Lakh per year.

5. Under the CER head, an amount of Rs. 0.60 lakh shall be allocated as per the details below, and all activities proposed under CER shall be completed within the next 01 years:

SN	Proposed Activities under CER Head	Amount (in Rs.)
1	शासकीय प्राथमिक स्कूल बीन्याखेड़ी के कक्षों की खिडकियों की ग्रिल में एस-एस की जाली लगाना, मरम्मत (रंगारई- पुताई) एवं फर्निचर (15 बेंच एवं डेस्क)	60,000

6. As per the plantation program (with continuous irrigation, replacement of dead plants for Five years, and maintenance throughout the mining period), at least 495 trees shall be planted.

8. **Case No P2/1774/2025 Shri SUNITA SHUKLA, proprietor, Add- R/o 37, Anushree Vihar, Shanti Nagar Damoh Naka, Jabalpur (M.P) Prior Environment Clearance for M/s Pindrai Silica Sand Mine in an area of 0.6 ha. (5179 cum per annum) (Khasra No. 124/2) Village- Pindrai Tehsil- Jabalpur District Jabalpur (M.P.). [536091] (DEIAA)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राघवेन्द्र शुक्ला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	SUNITA SHUKLA, proprietor, Add- R/o 37, Anushree Vihar, Shanti Nagar Damoh Naka , Jabalpur (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	124/2 (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.6 hectare.
स्थल	Village- Pindrai Tehsil- Jabalpur District Jabalpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	अनुबंध दिनांक 13/04/2016 को दिनांक 16/08/1996 से दिनांक 15/08/2046 तक अनुबंधित।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	NA	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 30 दिनांक 02/06/2016 के द्वारा Silica Sand-23,358 M.T. हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	फार्म-2 के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर स्थापित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पत्र Outward No:121346 दिनांक 23/09/2024 द्वारा Mining Of Silica Sand-23,358 M.T.P.A. हेतु संचालन सम्मति (सीटीओ) प्राप्त है, जिसकी वैधता दिनांक 27/10/2024 तक वैध थी।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Silica Sand-5179 Tons per Annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Silica Sand-5179 Tons per Annum है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 12/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। गूगल अर्थ मैप अनुसार लगभग 450 मीटर की दूरी पर आबादी प्रतीत होती है ।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	1767 दिनांक 12/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 12/03/24 अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 90 मीटर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 12/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ऐंठाखेडा जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 12 दिनांक 14/04/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	वन सीमा 90 मी. की दूरी
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-128 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. डिया ईसी एवं सीटीओ Mining Of Silica Sand-23,358 M.T.P.A. प्राप्त है जबकि खनन योजना के पेज नं. 29 अनुसार अधिकतम Silica Sand-5179 M.T.P.A. प्रतीत होता है, कृपया इस संबंध में संबंधित जानकारी स्पष्ट करें।
2. डिया ईसी, लीज अनुबंध में श्रीनाथ खनिज प्रो. श्रीह अरुण शुकला उल्लेखित है जबकि खनन योजना में श्रीनाथ खनिज प्रो. सुनीता शुकला उल्लेखित है और आवेदन SUNITA SHUKLA के नाम से किया गया है, कृपया इस संबंध में संबंधित जानकारी स्पष्ट करें।
3. वन संरक्षक के दिनांक 05/11/15 के पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से वन सीमा 90 मी. की दूरी पर है अतः 250 मी. से कम दूरी होने के कारण संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनापत्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
4. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर संशोधित लीज अंतरण आदेश प्रस्तुत करें।
5. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन सम्मति (सीटीओ) नवीन क्षमता के Silica Sand- 5179 M.T. लिए प्राप्त करें। पूर्व का संचालन सम्मति (सीटीओ) Silica Sand-23,358 M.T. के लिए वैध था जिसकी अबधि समाप्त हो गयी है ।

9. **Case No P2/1776/2025 Shri Jitendra Kumar Sharma, Director, MAA JAYA SARV SERVICE PRIVATE LIMITED, H.No.236, Ward No.25, Lakhanguva Satai, District- Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s DUGARIYA METAL STONE QUARRY At Village- Dugariya, Tehsil- Rajnagar, District- Chhatarpur (Madhya Pradesh) Lease Area: 2.00Ha, Category of Project: 'B2' Khasra No -86/1, Production-: Stone – 12,000 M3/ Year [463211] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23.8.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती स्वाति नामदेव FAE, M/s. AGS Environmental Services Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Jitendra Kumar Sharma, Director, MAA JAYA SARV SERVICE PRIVATE LIMITED, H.No.236, Ward No.25, Lakhanguva Satai, District- Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	86/1(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	2.00 hectare.
स्थल	Village – Dugariya Tehsil – Rajnagar District- Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 216 दिनांक 18/01/21 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	BROAD BLASTING & DRILLING PARAMETERS.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र Outward No:22826 दिनांक 10/06/2025 के द्वारा Mining of Stone-12000 cubic meter per year) हेतु स्थापना सम्मति (सीटीई) M/s. Dugariya Matal Stone Quarry के नाम जारी की गई है जिसकी वैधता दिनांक 04/05/2030 तक है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-12000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-12000 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 608 दिनांक 13/02/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 608 दिनांक 13/02/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 608 दिनांक 13/02/25 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 608 दिनांक 13/02/25 अनुसार 300 मीटर की दूरी पर नदी स्थित है शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सलैया जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 28/11/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि. Tree Existing- 04 Tree Felling - 02 Additional tree to be planted -20
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- नदी 246 मी दक्षिण पूर्व दिशा- नाला 160 मी एवं जल रोकने की संरचना 292 मी
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-45 के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-12000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 05.41 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 01.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,50,000 की राशी से ग्राम डुगरिया के शासकीय प्राथमिक शाला में मरम्मत कार्य(3 खिडकीयां लगाई जायेगी एवं छत पर वाटर प्रूफिंग, फ्लोर व दीवारो पर पलास्ट कर पुताई का कार्य कराया जायेंगा) किया जायेंगा।	1,50,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 300 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये नवीन सीटीई आवेदक के पर नाम से प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा :-

- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नवीन सीटीई आवेदक के पर नाम से प्राप्त करें।

10. Case No P2/1060/2025, Balaji Construction, Partner Usha Rani Talluru R/o- Flat no. 104/F1 SRS Chaggar Farm near Water tank Tilhari Jabalpur, District- Jabalpur, M.P., 482020 Prior Environment Clearance for Katangi Stone & M-sand Quarry with a production capacity of Max 30,000 m³/year Stone & 20,000 m³/year M-Sand having a lease area of 3.0 hectare, at Khasra No.72, Village - Katangi, Tehsil- Deori, District- Sagar (M.P.) [541930] (FRESH EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है जिसमें आज दिनांक 26-08-2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Usha Rani Talluru, Partner, balaji construction, R/o- Flat no. 104/F1SRS Chaggar Farm near Water tank Tilhari Jabalpur, District- Jabalpur, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	72 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.0 hectare.
स्थल	Village -Katangi, Tehsil- Deori, District- Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 18/09/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Single Row Muffle Blasting	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र Outward No:22689 दिनांक 05/05/2025 द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 10/04/2030 तक है ।	
टॉर	समिति द्वारा ऑनलाईन स्टेण्डर्ड टॉर दिनांक 17/02/2025 के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईई रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone- 30,000 m ³ /year & M-Sand- 20,000 m ³ /year cum	

	per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone- 30,000 m ³ /year & M-Sand- 20,000 m ³ /year cum per annum है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1324 दिनांक 18/10/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 06 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.700 होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1324 दिनांक 18/10/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। स्वीकृत क्षेत्र से 6.16 कि.मी. की परिधि में वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व क्षेत्र एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ईको सेंसेटिव जाने क्षेत्र 6.16 कि.मी. व बफर क्षेत्र से भी 6.16 कि.मी. दूरी पर स्थित होना प्रतिवेदित किया गया है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1324 दिनांक 18/10/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1324 दिनांक 18/10/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिलारी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 22/07/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Tree Existing within lease area

<p>प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति</p>	<ul style="list-style-type: none"> • उत्तर दिशा- खदान पट्टे क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 400 मीटर की दूरी पर एक नाला स्थित है। • खदान पट्टे क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 890 मीटर की दूरी पर एएच-43 स्थित है। • खदान पट्टे क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में 470 मीटर की दूरी पर एक स्टॉप डैम भी स्थित है।
<p>प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1325 दिनांक 18/10/24 के अनुसार भविष्य में जब जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अदधतन की जावेगी, उसमें उक्त खदान को सम्मिलित कर लिया जावेगा ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>
<p>जन सुनवाई</p>	<p>प्रस्तावित खदान की दिनांक 07/5/2025 को संपन्न सुनवाई में प्राप्त आपतियों/सुझावों को पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।</p>

प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार यह अवगत कराया गया की ईसी आवेदन / ईआईए रिपोर्ट / प्रस्ताव के अनुसार खदान पट्टे क्षेत्र के अंदर एम-सैंड क्रशर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु इसे प्रेजेंटेशन में सीटीई के अनुसार संशोधित किया गया है कि एम-सैंड क्रशर प्लांट, खदान क्षेत्र के बाहर स्थापित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार यह अवगत कराया गया की उत्खनिपट्टे क्षेत्र के पूर्वी भाग में खुदा हुआ है जोकि नवीन सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 08-09-2024 से पहले का खुदा हुआ है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं उपरोक्त व अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुसंशा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता - 30,000 घन मीटर/वर्ष पत्थर और 20,000 घन मीटर/वर्ष एम-सैंड।

2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3. एम-सैंड केशर प्लान्ट खदान क्षेत्र के बहार स्थापित किया जावेगा।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 21.455 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.59 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.00 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

Particular	Budget
A solar panel system of 2.0 kW capacity (Excluding subsidy) will be installed at the Anganwadi centre (Govt. Building) located at Semra Kheri (Silari) village. and Painting walls with colourful educational themes, including alphabets, numbers, animals, and storytelling illustrations.	₹ 1,00,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 पौधों का वृक्षारोपण ।

11. Case No P2/1777/2025 Shri Praveen Rathod S/o Shri Ramesh Chandra Rathod Address: -Village-Pisnawal, Jhopali, District- Barwani (M.P.)-451666. Prior Environment Clearance for M/s GAWADI STONE & M-SAND MINE At Village Gawadi Tehsil Niwali District Barwani at 1.0 ha, Khasra No. 294/1/10 (Govt. Land) Production Capacity Gitti-5,130 m³/year, M-sand-5,130m³/year, [525217] Fresh -(B2).

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/8/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमति मीना चौरसिया, एफएई, M/s. Aseries ENVIROTEK INDIA PVT. LTD., Lucknow (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Praveen Rathod S/o Shri Ramesh Chandra Rathod Address: - Village-Pisnawal, Jhopali, District- Barwani (M.P.)-451666	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	294/1/10 (सरकारी भूमि)	1.0 hectare.
स्थल	ग्राम गवाड़ी, तहसील निवाली, जिला इंदौर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 58 दिनांक 13/1/2025 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:29222 दिनांक 19/06/2025 वैधता दिनांक Consent to Establish upto 21/05/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 5130 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 5130 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 5130 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 5130 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 73 दिनांक 15/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.011 होता है,	

	अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण / एसईजेडसे दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 73 दिनांक 15/1/2025 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 73 दिनांक 15/1/2025 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
10 किलोमीटर की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय सीमासीमा स्थित है	महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश अंतर्राज्यीय लगभग 8 किलो मीटर दूरी पर है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 73 दिनांक 15/1/2025 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2-3 पक्के, अर्धपक्के रहवासी मकान लगभग 300 मीटर के आस-पास बने हैं एवं ग्रामीण पक्की सड़क लगभग 450 मीटर दूर है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत गवाडी जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक- 55 दिनांक 17/8/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपति नहीं है का प्रस्ताव पारित। (बड़वानी जिला पैसा एक्ट के तहत आता है एनओसी नहीं लगी है)
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing - No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड - 450 मी. दक्षिण दिशा- पृथक मकान -364 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 73 दिनांक 15/1/2025 के अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैधांतिक मंजूरी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 58-59/खनिज/2025 बड़वानी दिनांक 13/1/2025 से जारी की गई है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पूर्व में वर्ष 2022 में बनी हुई है तथा उक्त भूमि उत्खनिपट्टा की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर - 5130 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 5130 घनमीटर/वर्ष

2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.99 एवं रिक्ररिंग राशि रू. 4.60 प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
2.0 KW capacity solar panel system will be installed at the Government school located in Village Gawadi.	60,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्रक्रिया में है जो शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

12. Case No P2/1778/2025 Shri Nirmala THAKUR, Project Proponent, Shastri Ward Barapathar Seoni (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Bawali Dolomite.Mine in an area of 1.720 ha. (50,000 TPA) (Khasra No. 152) Village: Bawli, Tehsil: Kurai, District: Seoni (M.P.). [534275] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Nirmala THAKUR, Project Proponent, Shastri Ward Barapathar Seoni (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	152 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.720 hectare.
स्थल	Village: Bawli, Tehsil: Kurai, District: Seoni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 679 दिनांक 01/11/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लीज हस्तांतरित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Not Applicable	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर के पत्र Outward No:122930 दिनांक 10/06/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite 50,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite 50,000 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 409 दिनांक 04/4/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.542 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 409 दिनांक 04/4/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल से 250	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र	

मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	क्रमांक 409 दिनांक 04/4/25 अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक आरएफ 334 से 34.00 मीटर की दूरी पर स्थित है जो कि 250 मीटर के भीतर स्थित है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 409 दिनांक 04/4/25 अनुसार 500 मीटर के अंदर मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बावली खण्डासा जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 16/04/2025 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि उपलब्ध गूगल इमेज दिसम्बर 2023 के अनुसार लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पेड़ों की पंक्ति दिख रही हैं। परंतु वर्तमान में पेड़ नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा- 18मी. की दूरी से हॉलेज रोड निकल रहा है। दक्षिण पूर्व दिशा- पक्का रोड - 50मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-98 के सरल क्रमांक-153 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 409 दिनांक 04/4/25 अनुसार आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्रमांक आरएफ 334 से 34.00 मीटर की दूरी पर स्थित है जो कि 250 मीटर के भीतर स्थित है अतः 250 मी. से कम दूरी होने के कारण संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनापत्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र के दक्षिण पूर्व दिशा- पक्का रोड - 50मी. की दूरी पर है अतः संशोधित सरफेस मैप प्रस्तुत करें साथ ही लीज क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में आता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति/अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
3. समिति के सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी प्रस्तुत करें।

13. Case No. P2/1772/2025, Sanwaliya Construction Proprietor Nepal Singh S/o Mod Singh R/O: Village- Pawti, Tehsil-Garoth, District, Mandsaur (Madhya Pradesh) Prior Environment Clearance for Pawti stone (gitti and M-Sand) Quarry in an area of 3.0 ha. [Stone(gitti)- 10,000 m³/year and M-Sand-5.000 m³/year], (Khasra No. 2621 (Govt. Land), Village: -Pawti, Tehsil- Garoth, District: -Shivpuri (M.P) (542003) (Fresh -B₂)

प्रस्तावित खदान बी.2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है। जिसमें आज दिनांक 26.08.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा सुपर टेक एनवायर्नमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Nepal Singh Rathor, Proprietor of Sanwaliya Construction, R/o-Village-Pavati, Tehsil -Garoth, District-Mandsaur, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2621 (सरकारी लैंड)	3.0 hectare.
स्थल	ग्राम पावटी, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 459 दिनांक 15/3/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:22055 दिनांक 18/06/2025 वैधता Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at 2621, Pawti, Village/City: Pawti, Tehsil: Garoth, Dist. Mandsaur (M.P.) तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिट्टी) - 10000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिट्टी) 10000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सैंड - 5000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 988 दिनांक 26/7/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें	

	संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 988 दिनांक 26/7/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 988 दिनांक 26/7/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 988 दिनांक 26/7/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पावटी जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-02 दिनांक 13/02/2024 अनुसार ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र में 15 वृक्ष स्थित जिनमे से 4 पेड़ों को काटा जावेगा जिनके एवज में 40 अतिरिक्त वृक्ष लगाए जावेंगे
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - -उत्खनिपट्टे से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 210 मीटर की दूरी पर एक मंदिर स्थित है ।
	दक्षिण दिशा - उत्खनिपट्टे से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 790 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता गुजर रहा है
	पूर्व दिशा - -उत्खनिपट्टे से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर चेक डैम स्थित है । उत्खनिपट्टे से पूर्व दिशा में 225 मीटर की दूरी पर एक नाला गुजर रहा है ।
	पश्चिम दिशा - उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 360 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रास्ता गुजर रहा है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 989 दिनांक 26/7/2024 के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया उत्खनिपट्टे क्षेत्र के उत्तर पूर्वी दिशा में 210 मीटर की दूरी पर चेक डैम का HFL स्थित है जिसको संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि चेक डैम कि तरफ सघन वृक्षारोपण किया जावे एवं इसी दिशा में ग्रासलैंड निर्मित किया जावे साथ ही साथ सेटलिंग टैंक एवं गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया जावे।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र के दक्षिण दिशा एवं पश्चिम दिशा में कुछ गड्डे परिलक्षित हो रहे हैं जिनके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र से मुरुम निकली गयी है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का पत्र क्रमांक 1/2025 प्रस्तुत किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं उपरोक्त प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता - गिट्टी पत्थर 10000 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड -5000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.36 लाख प्रति वर्ष।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में एम् सैंड केशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.10 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2.0 kw capacity will be installed at the Anganwadi kendra pawti (excluding subsidy)	90,000/-
2.	Distribution of the educational learning items & educational wall paintings including environment awareness slogans on the same school building.	20,000/-
Total		1,10,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3640 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

14. Case No P2/1779/2025 Shri Vinay singh DANGI, Properitor M/s Mani Stone Crusher, Prop. Mani Stone Crusher, Dangyana Mohalla, Niwari, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for M/s Churara Stone Mine in an area of 4.0 ha. (Gitti- 15,000 cum per annum & M-Sand 35,000 cum per annum) (Khasra No. 546) Village – Churara, Tehsil – Niwadi, District- Niwadi (M.P.) [520083] (B2)

The Proposed Mine is of Prior Environmental Clearance under Category B-2, in which today on 26/08/2025 the Project Proponent SHRI Shri Bhagwan Singh Sondhiya and his Environmental Consultant Ms. Garima Shrivastava Coordinator Online and Shri Ram Vishal Shukla, Team Member M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Lucknow (U.P.) appeared and made a presentation before the committee.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Vinay singh DANGI, Properitor M/s Mani Stone Crusher, Prop. Mani Stone Crusher, Dangyana Mohalla, Niwari, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	546 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.0 hectare.
स्थल	Village – Churara, Tehsil – Niwadi, District- Niwadi (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के पत्र क्रमांक 690 दिनांक 04/01/24 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	CONTROLLED BLASTING.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र Outward No:- 22834 दिनांक 16/06/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 25/05/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti- 15,000 cum per annum & M-Sand 35,000 cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti- 15,000 cum per annum & M-Sand 35,000 cum per annum है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 136 दिनांक 13/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान	

	संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 136 दिनांक 13/06/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 136 दिनांक 13/06/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 136 दिनांक 13/06/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चुरारा जिला निवाडी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 26/01/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उत्खनिपट्टे क्षेत्र में 25 वृक्ष स्थित जिनमे से कोई भी वृक्ष नहीं काटा जावेगा। यह पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया - उत्तर दिशा- रेल्वे लाइन 266 मी. उत्तर पूर्व दिशा- वेयर हाउस 127मी. पक्का रोड - 229 मी. पूर्व दिशा- पक्का रोड 112 मी. आबादी 140 मी. पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया कि इस दिशा में 88 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। दक्षिण पश्चिम दिशा- तालाब 249 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 329 दिनांक 29/07/24 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया

	जाये।
--	-------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Gitti- 15,000 cum per annum & M-Sand 35,000 cum per annum.
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लांट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रशर/ एमसेंड प्लांट में वायु प्रदूषण रोधि उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.86 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 4.45 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय माध्यमिक शाला, चुरारा की छत पर 2 KW का सोलर पैनल लगाया जायेगा	1,20,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1980 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

15. Case No P2/1769/2025 SHRI SURENDRA KUMAWAT, Owner, H.NO.-A/67, janta Colony, Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s KOLWA Stone Mine in an area of 4.0 ha. (Stone- 40460 cum per annum) (Khasra No. 1174 Govt. Land) Village – KOLWA Tehsil –Mandsaur District-Mandsaur (M.P.) [500817] (B2)

प्रकरण आज सेक की 822वीं बैठक दिनांक 26/08/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

16. Case No P2/1771/2025 Shri LAVKESH SINGH, Project Proponent, R/O-Devri, Tehsil-Majhauri, District-Sidhi (MP) Prior Environment Clearance for M/s Karmai Stone Mine in an area of 1.35 ha. (7938 cum per annum) (Khasra No. 2327/2, 2395/2) Village- Karmai Tehsil- Majhauri District Sidhi (M.P.).[468282] (Fresh -B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्राइजल का है, जिसमें आज दिनांक 26/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रहीश पटेल, मेसर्स Forest Environment and Climate Change Management Consultancy (FECCM) Pvt Ltd., भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री LAVKESH SINGH, Project Proponent, R/O-Devri, Tehsil-Majhauri, District-Sidhi (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2327/2, 2395/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.35 hectare.
स्थल	Village- Karmai Tehsil- Majhauri District Sidhi (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्रमांक 455 दिनांक 17/04/17/04/2017 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting proposed	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सीधी के पत्र क्रमांक-11 दिनांक 25/05/2017 के द्वारा पत्थर-7938 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर केशर प्रस्तावित नहीं है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा द्वारा दिनांक 16/12/2022 के जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 24/24/10/2027 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-7938 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-7938 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 832 दिनांक 05/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	832 दिनांक 05/05/2024 अनुसार ग्राम करमाई तहसील मझैली की भूमि खसरा क्रमांक 2327/2, 2395/2, रकबा 1.350 हे. से संजय टाईगर रिजर्व कोर जोन से दूरी 7.950 कि.मी. तथा बफर क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन से दूरी 2.600 कि.मी. है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 832 दिनांक 05/05/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 832 दिनांक 05/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत करमाई जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-28 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- 335 मी पर नाला है । पूर्व दिशा-525 मी पर पक्की सड़क है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 70% (345 mtr) पूर्ण है। बाकी 30 प्रतिशत (147mtr) भी आगामी 2 माह की भीतर कर ली जावेगी।
बेरियर जोन संरक्षण की स्थिति	बेरियर जोन पूर्ण सुरक्षित है ।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 100% प्रतिशत वृक्षारोपण है एवं अतिरिक्त 500 पेड़ लगा दिए हैं ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	खदान के उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में 70% (345 mtr) पूर्ण कर दी है , शेष 147 मी 2 माह में बना ली जाएगी ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति	द्वितीय (Second) बेंच में खनन कार्य किया जा रहा है ।
पौधा रोपण की स्थिति	हमारे द्वारा खदान के बेरियर क्षेत्र एवं रोड के किनारों में 400+100 पेड़ लगाये हैं एवं 100 पेड़ बांटे हैं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **7938 घनमीटर / वर्ष**
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायों/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.51 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 1.82 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम करमाई के माध्यमिक विद्यालय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 kw के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा दिया जायेगा ।	1,30,000
ग्राम करमाई के प्राथमिक पाठशाला में परियोजना प्रस्तावक द्वारा रंगाई एवं पुताई एवं विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा तक पहुंच मार्ग की मरम्मत आदि का कार्य किया जाएगा ।	70,000
कुल	2,00,000

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

17. Case No. P2/1775/2025 Shri Mahesh Lalwani, Director, JHULELAL MINE WORKSP LTDS/O, Jamna Das Lalwani, 1419/1450, Kanadiya Road Nera Sanchar nagar, Kanadia Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Songuradia Stone Quarry in an area of 4.90 ha. (Stone – 30,000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village- Songuradia, Tehsil - Indore, Distt. Indore (MP).[471917] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/08/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा ऑनलाइन एवं श्री प्रदीप लोधी एफएई मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि. गाजियाबादर उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Mahesh Lalwani, Director, JHULELAL MINE WORKSP LTDS/O, Jamna Das Lalwani, 1419/1450, Kanadiya Road Nera Sanchar nagar, Kanadia Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/1 (निजी/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.90 hectare.
स्थल	ग्राम सोनगुराडिया, तहसील एवं जिला इंदौर (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 244 दिनांक 21/3/2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति (सीटीई/सीटीओ) की Outward No:18407 दिनांक 27/12/2019 वैधता दिनांक grant consent up to 28/07/2020 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-20000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2541 दिनांक 07/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2541 दिनांक 07/12/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2541 दिनांक 07/12/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2541 दिनांक 07/12/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धमनाय जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-05 दिनांक 14/12/2023 के अनुसार यह प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा गया है सर्व सहमति से पारिया किया जाता है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया किलीज क्षेत्र के बेरियर जोन में पेड़ लगे हुए हैं जो नहीं काटे जाएंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- प्लांट का शेड - 172 मी. एवं आबादी 53 मी. दक्षिण पूर्व दिशा- पक्का रोड़ 382 मी. पूर्व दिशा- पक्का रोड़ 142 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 42 सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए:-

1. डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
2. समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं स्थानवार मापदंड छोड़ते हुए संशोधित सरफेस प्लान ।

18. Case No. P2/02/2023 Shri KRISHAN SINGH, Project Proponent, Village-Neguda, Tehsil-Churhat, District-Sidhi (MP)-486771, Prior Environment Clearance for Harraha (Crusher) Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (production - 12471 cum per year) (Khasra No. 3/2/2), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) [455196] DEIAA [455196] (Query Reply B2) (DEIAA)

Earlier this case was discussed in 762th SEAC meeting dated 03/06/2024 wherein following query was issued:-

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारों ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- सशोधित ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार सोलर पेनल शालाओं में विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेन्टिंग आदि के प्रस्ताव के साथ संशोधित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 26/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ram Raheesh Patel M/s. FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह ग्राम नगुडा, तहसील-चुरहट, जिला-सीधी, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/2/2 (निजी - नॉन फारेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.000 हेक्टर
स्थल	Village - HARRAHA, Tehsil - MAUGANJ, District- REWA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2223/खनिज/2017 दिनांक 04/08/2017 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	संसोधित कर नया <u>नॉन ब्लास्टिंग माईनिंग</u> प्लान प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- 12471 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- 12471 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें	

खदानें	संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 03.940 है, इस प्रकार रकबा 04.940 होता है । अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। साथ ही एक अन्य खदान 04.00 हे दिनांक 13.06.2022 को निरस्त (प्रतिसंहृत) किया गया है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) <u>जिला रीवा</u> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) <u>जिला रीवा</u> के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2419 दिनांक 26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत <u>हर्रहा जिला अनुपपूर</u> के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 08/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 05 Additional tree to be planted - 50 Plantation to be planed - 1200
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- 116 मी पर स्टॉप डेम है । उत्तर-पूर्व दिशा- 118 मी पर 1 मकान है । दक्षिण दिशा- 163 मी पर पक्की स्थित है । दक्षिण-पूर्व दिशा - 96 मी पर 1 मकान स्थित है । पूर्व दिशा- खुला क्षेत्र है । पश्चिम दिशा- 277 मी पर 1 मकान स्थित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सवेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण <u>रीवा</u> जिले की अनुमोदित नवीन जिला <u>सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50</u> के सरल क्रमांक-136 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 70% (308 मीटर) पूर्ण है। बाकी 30 प्रतिशत (132 मीटर) भी आगामी 2 माह की भीतर कर ली जावेगी।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 100 प्रतिशत (45 पेड़) पूर्ण है एवं अलग से 350 पेड़ लगवा दिए गए हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	खदान के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में लगभग 278 मीटर पूर्ण है एवं शेष आगामी 2 माह की भीतर कर ली जावेगी।
अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति	प्रथम बेंच में खनन कार्य किया जा रहा है।
पौधा रोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 400 पेड़ लगाये गये एवं 150 पेड़ बांटे गये।
बेरियर जोन संरक्षण की स्थिति	20 मीटर बेरियर जोन के अवैध उत्खनन पर माइनिंग विभाग द्वारा 1 लाख का जुर्माना किया गया था बाकी 410 मीटर बेरियर जोन सुरक्षित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 12,471 घनमीटर / वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.48 एवं रिकरिंग राशि रु. 2.54 प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

कं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु .में)
-----	---------------------------------------	----------------

1	ग्राम हरहा के प्राथमिक पाठशाला में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 kw के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हेतु प्रस्तावित राशि से 2 माह में सोलर पैनल इंस्टॉल करवा किया जाएगा।	1,50,000/-
2	ग्राम हरहा के प्राथमिक पाठशाला में परियोजना प्रस्तावक द्वारा रंगाई एवं पुताई एवं विज्ञान मॉडल वितरण एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल पेंटिंग, पोस्टर आदि का कार्य किया जाएगा ।	50,000/-
	कुल	2,00,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षा का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

19. Case No 10667/2023 Shri Mahendra Solanki S/o Manohar Singh Solanki, Owner, 28, Gram-Bamankhedi, Tehsil-Jaora, Post-Husen Tekri, District-Ratlam (UP)-457226, Prior Environment Clearance for Sindurkiya Crusher Stone & M-sand Quarry in an area of 3.00 ha. (39000 cum per year) (Khasra No. 355), Village-Sindurkya, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) (520022) EIA Query.

Earlier this case was discussed in 808th SEAC meeting dated 08/07/2024 wherein following query was issued: -

- EIA page 01 and page 03 are showing water consumption 12.71 KLD and 7.85 KLD respectively please clarify. Page 06 para 1.4.3 Chapter 8/9 do not match with the generic structure of the EIA report. Page 12 reveals baseline data collection from Dec. 2022 to Feb. 2023 & Page 02 table 1.3 this period is Oct. 2023 to Dec.2023 please clarify.
- Page 29 Garland drain size & settling tank size are not mentioned. Page 50 the CPCB standard regarding Classification of water below – E category is mentioned? Page 58 soil samples source – name of place is to be mentioned. Page 53,54 river water quality report requires to verify.
- As mentioned in TOR the EIA report must be supported with Geotags photographs for baseline data study, the same are not available in the EIA.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 26/08/2025 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डा ऑनलाईन एवं श्री प्रदीप लोधी, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि समिति द्वारा दिनांक 08/07/25 में ईआईए रिपोर्ट में संशोधन करने हेतु जो बिन्दु सुझाए गए थे उन बिन्दुओं में पर्यावरण सलाहकार द्वारा संतोषजनक सुधार Explain नहीं किया गया है। अतः पूर्व में सुझाए अनुसार ईआईए रिपोर्ट से संबंधित बिन्दुओं में आवश्यक सुधार करें, कृपया स्पष्ट रूप से बिंदुवार उल्लेखित करें जिसमें पूर्व की स्थिति तथा संशोधित स्थिति को तालिका में स्पष्ट रूप से समिति अवगत हो सकें। तदुपरांत प्रकरण में विचार किया जावेगा।

20. Case No. P2/1609/25, M/s Singrauli Minerals Pvt Ltd Director: Shri Narayan Das Vais R/o: Gadsa Post Naugai Tehsil Singrauli District – Singrauli, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Chakodiya Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.0 ha. [Stone (gitti)-35,000 m³/year], (Khasra No. 1/1 (Govt. Land), Village- Chakodiya, Tehsil- Jaitpur, District- Shahdol (M.P.) [538197] (Fresh -B2) .

Earlier this case was discussed in 813th SEAC meeting dated 22 /07/2025 wherein following query was issued: -

- The mine lease area falls under tribal area where PESA is applicable hence PP is directed to obtain NOC from village panchayat dealing with PESA.

प्रकरण आज दिनांक 26.08.2025 सेक बैठक क्रमांक 822 में सम्मिलित किया गया जिसमें पर्यावरण सलाहकार शिशुपाल वर्मा FAE सुपर टेक एनवायर्नमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया पर्यावरण सलाहकार द्वारा उक्त उत्खनिपट्टे की पैसा एक्ट के तहत ग्राम पंचायत चकौड़िया, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल (म.प्र.) से पत्र क्रमांक Q/19/2025-26 दिनांक 02-08-2025 द्वारा पेसा ग्राम एनओसी परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से जमा कर दी गयी है ।

अतः पूर्व में 813वीं SEAC बैठक दिनांक 22/07/2025 में प्रस्तुत की गई जानकारी एवं उपरोक्त ADS रिप्लाइ के माध्यम से दी गई जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन अवलोकन किया गया जो कि संतोषजनक पायी गयी अतः ADS के माध्यम से दी गई जानकारी को सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व में SEAC बैठक क्रमांक 813 दिनांक 22/07/2025 में की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

21. Case No. P2/1647/25, Shri Arvind Panwar S/o Shri Santosh Panwar R/o: Mali Mohalla Jetapur, Khargone, District:- Khargone, State: -Madhya Pradesh Prior Environment Clearance for Balwadi murrum Quarry in an area of 1.0 ha. [Murrum-8,500 m³/year], (Khasra No. 297(S) (Govt. Land), Village- Balwadi, Tehsil- Khargone, District- Khargone (M.P.) (536738) (Fresh -B2).

Earlier this case was discussed in 813th SEAC meeting dated 22 /07/2025 wherein following query was issued: -

- The mine lease area falls under tribal area where PESA is applicable hence PP is directed to obtain NOC from village panchayat dealing with PESA.

प्रकरण आज दिनांक 26.08.2025 सेक बैठक क्रमांक 822 में सम्मिलित किया गया जिसमें पर्यावरण सलाहकार शिशुपाल वर्मा FAE सुपर टेक एनवायर्नमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया ।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा उक्त उत्खनिपट्टे की पैसा एक्ट के तहत ग्राम पंचायत बलवाड़ी जनपद पंचायत खरगोन जिला खरगोन मध्य प्रदेश क्रमांक 8 दिनांक 14-04-2025 द्वारा पेसा ग्राम एनओसी परिवेश पोर्टल पर ADS के माध्यम से जमा कर दी गयी है ।

अतः पूर्व में 813वीं SEAC बैठक दिनांक 22/07/2025 में प्रस्तुत की गई जानकारी एवं उपरोक्त ADS रिप्लाइ के माध्यम से दी गई जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन अवलोकन किया गया जो कि संतोषजनक पायी गयी अतः ADS के माध्यम से दी गई जानकारी को सम्मिलित करते हुए तथा पूर्व में SEAC बैठक क्रमांक 813 दिनांक 22/07/2025 में की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner’s Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

39. कशर अथवा एम सैंड प्लांट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लांट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लांट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.

13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minalable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया

